राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / वीआरएस–56 / 2019 /   दिनांकः–

आदेश

श्रीमती मनजीत कौर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र, कोरटा, खण्ड सुमेरपुर, जिला पाली, जिनकी जन्मतिथि 25.11.1960 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 07.10.1992 है, को उनकी स्वंय की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 30.04.2018 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान की जाती है। इनकी स्वैच्छिक सेवानिवृति तिथि 30.04.2018 अकार्य दिवस मान्नी जावेगी।

उक्त आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका संख्या 15883/2017 द्वारा श्रीमती मनजीत कौर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.04.2018 की पालना में राज्य सरकार की आई.डी. क्रमांक 8083 दिनांक 19.11.2018 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

इनके विरूद्ध आज तकः–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / वीआरएस–56 / 2019 / 235   दिनांकः– 6/2/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 2197 दिनाक 16.11.2018 के क्रम में।
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली एवं प्रभारी अधिकारी केस।
7. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुमेरपुर (जिला पाली)।
8. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

Desktop\ANM\ANM order 2019